*न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय्–सह विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), समस्तीपुर।*

**दलसिंहसराय थाना काण्ड सं0 388/20, कम्पयूटर निबंधन सं0 1374/20**

**9.1.21** आवेदक **1.अखिलेश कुमार उर्फ धोनी,** जो दलसिंहसराय थाना काण्ड सं0 388/20, धारा–414 भा0द0वि0 एवं धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 21.12.20 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार सिंह के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उसके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित बरामद शराब एवं जप्त वाहन से उसका कोई संबंध नही है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराएॅ उसके विरूद्व नही बनती है। उसके विरूद्व पूर्व से दो वाद लम्बित है। प्रस्तुत वाद में वह दिनांक 21.12.20 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री रामलखन राय के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त के विरूद्व धारा–414 भा0द0वि0 एवं धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा वाहन जॉच के क्रम में घटनास्थल पर आवेदक अभियुक्त को एक मोटरसाईकल पर 375 एम0एल0 के 07 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। आवेदक दिनांक 21.12.20 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में बरामद शराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त **1. अखिलेश कुमार उर्फ धोनी को** मो0 20,000/–रू0(बीस हजार) रू0 के बंद्व–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। दोनो जमानतदार अभियुक्त का निकटतम संबंधी होगा। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है, कि आवेदक अभियुक्त इस आशय का वचन–पत्र दाखिल करेगा, कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा।

(लेखापित)

अपर सत्र न्या02
सह वि0 न्या0उत्पाद